फा.सं. 19024/03/2021-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांकः 31 दिसम्बर, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः सरकारी खाते पर विमान टिकटों की बुकिंग के संबंध में अनुदेशों में संशोधन किए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के मौजूदा आदेशों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिनके द्वारा भारत सरकार जहां विमान यात्रा की लागत का वहन करती है, वहां विमान यात्रा के सभी मामलों में संबंधित अधिकारी केवल एअर इंडिया द्वारा यात्रा कर सकते हैं और एअर इंडिया से सीधे या तीन प्राधिकृत एजेंटों अर्थात् मैसर्स बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), मैसर्स अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स (एटीटी) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की सेवाओं का उपयोग करके विमान टिकट खरीद सकते हैं।

2. एअर इंडिया के विनिवेश किए जाने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि विमान यात्रा के उन सभी मामलों में जहां भारत सरकार विमान यात्रा की लागत का वहन करती है, वहां विमान टिकटों की खरीद तीनों प्राधिकृत यात्रा एजेंटों से की जाए अर्थात्

(i) मैसर्स बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल),

(ii) मैसर्स अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स (एटीटी),

(iii) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)।

3. ट्रेवल एजेंटों से आशा की जाती है कि वे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार यात्रा कार्यक्रम के आधार पर टिकट बुकिंग की तारीख को **सर्वोत्तम उपलब्ध किराये** की व्यवस्था करें।

4. टिकट की बुकिंग के लिए पैरा 2 में उल्लिखित ट्रेवल एजेंट का चयन मंत्रालय/विभाग पर छोड़ दिया गया है। टिकट की व्यवस्था कार्यालय द्वारा की जा सकती है या अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वयं की जा सकती है। बुकिंग एजेंसी अर्थात् तीनों प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों अर्थात् मैसर्स बामर लारी एण्ड कपनी लिमिटेड, मैसर्स अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स तथा इंडियन रेलवे बुकिंग एजेंसी टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड को एंजेसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी यात्रा के लिए खरीदी गई टिकटों पर अर्जित किए गए सभी माइलेज प्वांइट संबंधित विभाग द्वारा अपने अधिकारियों की अन्य सरकारी यात्रा के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। किसी अधिकारी द्वारा इन माइलेज प्वांइटों का निजी यात्रा के लिए उपयोग करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसा, यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है

कि सरकारी यात्रा, जो सरकार द्वारा वित्तपोषित होती है, से प्राप्त लाभों का उपार्जन सरकार को ही हो। ट्रेवेल एजेंट तिमाही आधार पर अर्जित माइलेज प्वांइट के बारे में मंत्रालय/विभाग को सूचित करेगा।

6. अपरिहार्य परिस्थितियों में, जहां टिकट की बुकिंग अप्राधिकृत ट्रवेल एजेंट/वेबसाइट से की जाती है, वहां मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार या विभागाध्यक्ष जिनका ओहदा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में संयुक्त सचिव से कम न हो, छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

7. ट्रवेल एजेंटों को समय-समय पर विमान टिकटों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारी/कर्मचारी को उसके द्वारा की गई यात्रा की पुष्टि करने के लिए यात्रा पूरी करने के 7 दिन के भीतर विहित प्रोफार्मा (जैसा कि अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है) में प्रमाणपत्र/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश का अनुपालन करें और अपने नियंत्रणाधीन संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों सहित सभी कार्यालयों में इसे व्यापक रूप से परिचालित करें।

9. ये आदेश **01.01.2022** से लागू होंगे।

10. इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
निदेशक

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।

यात्रा पूरी करने के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र

(का.ज्ञा. सं. 19024/03/2021-ई.IV दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 का अनुबंध

1. मैं (अधिकारी/कर्मचारी का नाम ....) एतददवारा घोषित और प्रमाणित करता/करती हूँ कि:

2. मैंने वास्तविक रूप से .... से .... तक आगे की यात्रा दिनांक .... को पूरी की है और वापसी यात्रा .... से .... तक दिनांक .... को दौरा/प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की है।

या

3. मैंने/हमने वास्तविक रूप से........................... से .... तक आगे की यात्रा दिनांक .... को तथा वापसी यात्रा .... से .... तक दिनांक .... को स्थानान्तरण/एलटीसी/सेवानिवृत्ति के प्रयोजनार्थ की है। स्वयं या परिवार के सदस्यों जिन्होंने सरकारी सेवक के साथ या अलग से यात्रा की है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	नाम	आयु	सरकारी सेवक के साथ संबंध

4. यदि मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई घोषणा किसी स्तर पर सत्य नहीं पाई जाती है तो मैं केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।

(हस्ताक्षर)

सरकारी सेवक का नाम..................................

पद नाम ....

मंत्रालय/ विभाग का नाम ....

सेवा में,

प्रशासन/स्थापना अनुभाग

मंत्रालय/विभाग...............